F.No.6(1)-EV/86
Government of India
Ministry of Finance
(Department of Expenditure)

....

New Delhi, the 25th August, 1986

OFFICE MEMORANDUM

Subject:-Refund of contribution under the Central Govt. Employees Insurance Scheme, 1977.

...

The undersigned is directed to invite the attention of the Ministries/Departments of the Central Govt. to this Ministry's O.M. of even number dated 15.5.86 and to say that a doubt has been raised whether contribution made @ 50 paise per month by the Govt. employees in certain types of cases is also to be refunded on their switching over to the C.G.E.G.I Scheme, 1980. It is clarified that on switching over to the Group Insurance Scheme, 1980 the entire amount actually subscribed by an employee towards the C.G.E.I.S, 1977, including that made at the rate of 50 paise per month, should be refunded to him and the payment debited to the head of Account " 288 Social Security and Welfare - E. other Social Security and Welfare programmes- Government Employees Insurance Scheme - Central Government Employees Insurance Scheme".

(K.RATAN)
Director

All Ministries/Departments of the Central Govt.

Copy with spare copies forwarded to:-

As per standard list.

फा. सं. 6(1)-संस्था. V/86
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(व्यय विभाग)

*****

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1986.

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना, 1977 के अन्तर्गत अंशदान की वापसी अदायगी।

***

मुझे इस मंत्रालय में दिनांक 15.5.1986 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन की ओर केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों का ध्यान दिलाने और यह कहने का निदेश हुआ है कि एक शंका उठाई गई है कि क्या सरकारी कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों द्वारा पचास पैसे प्रतिमाह की दर से किया गया अंशदान भी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना, 1980 में शामिल होने पर वापिस किया जाना है। यह स्पष्ट किया जाता है कि समूह बीमा योजना, 1980 में शामिल होने पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना, 1977 में किसी भी कर्मचारी द्वारा किए गए वास्तविक अंशदान की सम्पूर्ण राशि उसे वापस होनी चाहिए जिसमें 50 पैसे प्रतिमाह की दर से किया अंशदान भी सम्मिलित है और इस अदायगी को लेखा शीर्ष "288 – सामाजिक सुरक्षा और कल्याण – ङ. अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम – सरकारी कर्मचारी बीमा योजना – केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना" में डेबिट किया जाना है।

के. रतन

(के. रतन)
निदेशक

केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि अतिरिक्त प्रतियों सहित निम्नलिखित को प्रेषित :—
मानकीकृत सूची के अनुसार।